मद 4 (1) (ख)-(ii)

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 तथा कंपनी के मैमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उल्लिखित हैं। कंपनी के कर्मचारी मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी के कारोबार प्रचालनों को करते हैं।

अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करते हुए, कम्पनी के कर्मचारी लागू सभी संविधियों और नियमों तथा उनके तहत बनाए गए विनियमों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

चूंकि आरईसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत एक पंजीकृत सरकारी कंपनी है इसलिए इसके निदेशको की शक्तियां और कर्तव्य तथा इसके कारोबार का संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 1956 तथा कंपनी के मैमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और विभिन्न कानूनों के तहत अन्य अधिनियमन के प्रावधानों द्वारा शासित है।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत होने के नाते, कंपनी के कार्यों को प्रबंध करने की शक्तियां निदेशक मंडल के पास हैं। निदेशक मंडल ने कतिपय मामलों, जिनके लिए बोर्ड अथवा भारत के राष्ट्रपति अथवा शेयरधारको, जैसा भी मामला हो, का अनुमोदन आवश्यक होगा, को छोड़कर कंपनी का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सभी अथवा किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया है। इसके लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कंपनी के अधिकारियों को कतिपय सीमा तक विभिन्न शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

इसके अतिरिक्त, निगम में ओरगनोग्राम के अनुसार सीएमडी के समग्र पर्यवेक्षण में विभिन्न विभागों/प्रभागों के जरिए सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचा और कार्य है।

निगमित कार्यालय के अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य शक्तियों का ब्यौरा कंपनी के शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी) में उल्लिखित है।

शक्तियों के प्रत्यायोजन के दस्तावेज के जरिए अधिकारिता की योजना सुनिश्चित करती है कि कारोबार को निपटाने से संबंधित विभिन्न मुद्दे तथा ग्राहकों और उपभोक्ताओं की सेवा करने को पर्याप्त गति दी जाती है जिससे सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न ग्राहकों, उपभोक्ताओं और कारोबार एसोसिएट के साथ-साथ अपने कर्तव्य का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करने के लिए निगम के कर्मचारियों को सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था विद्यमान है।